रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072021-228500
CG-DL-E-27072021-228500

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]	नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
No. 206]	NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SHRAVANA 5, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

सं. 17 /2015–2020

विषय : स्कोमेट निर्यात प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए नए प्रपत्र (आयात निर्यात प्रपत्र) को प्रारंभ करना।

फा. सं. 01/91/180/18/एएम 17/ईसी(एस)–कंप्यूटर सं. 2862.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 की प्रकिया पुस्तक (एचबीपी) के पैरा 2.74 के तहत स्कोमेट निर्यात प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए यथा संलग्न नया एएनएफ प्रपत्र, नामतः एएनएफ 2ण (घ) को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करते हैं।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

नये एएनएफ प्रपत्र, नामतः, एएनएफ 2ण (घ) से व्यापार एवं उद्योग को स्कोमेट निर्यात प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा मिलेगी।

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

एएफएफ–2ण(घ)

स्कोमेट प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की मांग करने हेतु आवेदन प्रपत्र

[ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व कृपया अंत में दिए हुए दिशा–निर्देश देखें]

1.	आईईसी सं.	

2.	आवेदन शुल्क	बैंक पावती / इलेक्ट्रानिक फंड ट्रांसफर सं.	उस बैंक शाखा का नाम जिस पर आहरित किया गया है, यदि लागू है	भुगतान प्रणाली	दिनांक	राशि (रुपए में)

3. मौजूदा स्कोमेट निर्यात प्राधिकार पत्र का विवरणः

i	निर्यात प्राधिकार पत्र धारक का नाम	
ii	निर्यात प्राधिकार पत्र संख्या	
iii	प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि	
iv	अवधि जब तक स्कोमेट प्राधिकार पत्र वैध है	
v	मूल आवेदन संख्या (डीजीएफटी–मुख्या) जिसके तहत प्राधिकार–पत्र जारी हुआ	

4. किए गए निर्यात का विवरणः

क्र. सं.	**डीजीएफटी द्वारा यथा प्राधिकृत निर्यात दायित्व**				**आवेदन करने की तिथि तक किया गया निर्यात**			**शेष निर्यात (पूरा न किया गया निर्यात दायित्व)**		
	स्कोमेट श्रेणी / उच्च–श्रेणी	मद विवरण (संक्षेप में)	कुल मात्रा (सं. अथवा मी. टन)	एफओबी मूल्य (यूएसडी)	मात्रा	एफओबी मूल्य (यूएसडी)	% में	मात्रा	एफओबी मूल्य (यूएसडी)	% में

मद विवरणः (उदा. मद का नाम / मॉडल, श्रेणी, प्रकार वस्तुओं के लिए क्रम संख्या अथवा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के संबंध में रसायन का नाम, तकनीकी विवरण) मूल्यः प्रौद्योगिकी निर्यात हेतु मूल्य का उल्लेख किया जाना चाहिए (यदि लागू है)

5. स्कोमेट प्राधिकार पत्र के पुनवैधीकरण की मांग करने हेतु विशिष्ट कारण (अधूरे निर्यात दायित्व हेतु कारण स्पष्ट करें) (आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाने चाहिए और घोषणा पत्र, यदि कोई हो, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा कंपनी के लेटर हेड पर विधिवत स्याही द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर युक्त हो।

टिप्पणीः *स्कोमेट प्राधिकार पत्र का पुनर्वैधीकरण मांगने हेतु अनुरोध प्राधिकार पत्र के समाप्त होने से 30 दिन पहले भरा जाए। प्राधिकार पत्र के नवीनीकरण की अवधि की गणना प्राधिकार पत्र की समाप्ति की तारीख से की जाएगी जिससे विलंब से प्रेषित आवदेनों में वैधता अवधि कम हो। किसी भी मामले में, कुल वैधता अवधि 12 माह से अधिक नहीं होगी।*

घोषणा / वचनबद्धता

मैं / हम एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि

1. इस आवेदन में दिये गये ब्यौरे और विवरण मेरी / हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है और यदि यह गलत या झूठी साबित होगी तो विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम मुझे / हमें भुगतने पड़ सकते हैं।

2. हम विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों तथा इसके अधीन बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया–पुस्तक और समय–समय पर यथासंशोधित आयात एवं निर्यात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के पालन की शपथ लेते हैं।

3. फर्म / कंपनी का कोई भी स्वामी / साझेदार / निदेशक / कर्ता / न्यासी किसी अन्य फर्म / कंपनी में स्वामी / साझेदार / निदेशक / कर्ता / न्यासी जैसा भी मामला हो कोई भी ऐसा नही है जो डीजीएफटी के प्रतिकूल नोटिस में है या आरबीआई की चेतावनी सूची में है।

4. हमें निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन दण्डित नहीं किया गया है:

(i) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962

(ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 और

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999

(v) विदेशी मुद्रा सरंक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974ख

मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षरित करने के लिए अधिकृत हूं।

स्थान	आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक	
नाम	कपंनी का नाम
पदनाम	कार्यालय का पता
	दूरभाष / मोबाइल
	ईमेल पता
	कार्यालय की मुहर / स्टांप (स्याही में)

आवेदकों हेतु दिशा निर्देश

(कृपया प्रक्रिया पुस्तक का पैरा 2.80 देखें)

1. आवेदन ई–मेल– scomet-dgft@nic.in सीसी sanjay.kt@nic.in के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2. तथापि, दिनांक 05.08.2021 से आवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक, पेपरलेस रूप से प्रस्तुत करने हेतु नए ऑनलाइन मॉडयूल को शुरू करने के फलस्वरूप, लाइसेंस धारक को डीजीएफटी वेबसाईट–> (https://www.dgft.gov.in)–सर्विसेज–> एक्सपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम–> स्कोमेट पर दिए गए दिशानिर्देश से ऑनलाइन आवेदन करना अपेक्षित होगा।

3. निम्नलिखित दस्तावेजों को आवेदन के साथ संलग्न करना अपेक्षित होगा:

क. एएनएफ–2ण (घ) की विधिवत भरी गई और हस्ताक्षर की गई प्रति

ख. निर्यात प्राधिकार पत्र की प्रति (फर्म की कार्यालय की मुहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित)

ग. बैंक रसीद / ईएफटी / क्रेडिट कार्ड / परिशिष्ट 2ट के संबंध में 500 / – रुपये के आवेदन शुल्क के भुगतान के प्रमाण के साथ ऑनलाइन भुगतान का विवरण।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

Public Notice

New Delhi, the 27th July , 2021

No. 17/2015-20

Subject:- Introduction of a new proforma (ANF) for filing applications for revalidation of SCOMET export authorisation.

F. No. 01/91/180/18/AM17/EC(S)–Computer No. 2862.—In exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy(FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby notifies a new ANF proforma, namely ANF 2O(d), as Annexed for filing application for revalidation of SCOMET export authorisation, under para 2.74 of the Handbook of Procedures (HBP) of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, with immediate effect.

Effect of this Public Notice:

The new ANF proforma, namely ANF 2O(d) will facilitate the trade and industry to file application for revalidation of SCOMET export authorisation.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Addl. Secy.

ANF- 2O(d)

Application proforma for seeking Revalidation of SCOMET Authorisation

[Please see guidelines given at the end before filling the application online]

1	IEC No.	

2	Application Fee /	Bank Receipt/ Electronic Fund Transfer No.	Name of the Bank Branch on which drawn, if applicable	Pay Mode	Date	Amount (in Rupees.)

3**. Details of existing SCOMET Export Authorisation:**

i.	Name of the export authorisation holder	
ii	Export Authorisation Number	
iii.	Authorisation issue Date	
iv.	Period upto which the SCOMET authorisation is valid	
v.	Original Application Number (DGFT-HQ) against which the said authorisation issued	

4**. Details of Exports Made:**

Sl. No.	**Exports Obligation as authorised by DGFT**				**Exports already made as on date of filing application**			**Balance Exports (unfulfilled Export Obligation)**		
	SCOMET Category/Sub-Category	Item Description (in brief)	Total Quantity (in numbers or MT)	FOB value (USD)	Quantity	FOB value (USD)	In %	Quantity	FOB value (USD)	In %

Item Description : (e.g. Name of item / Model, Class, Type, Serial Number for goods or chemical name, technical details in case of technology transfer) alue :For Technology exports, value should be mentioned (if applicable).

5. **Specific reasons for seeking Revalidation of SCOMET authorisation (Explain reasons for unfulfilled export obligation) (Necessary documents should be attached and declaration, if any on the letterhead of the company duly ink signed and stamped by authorised signatory)**

____

____

Note: R*equests seeking revalidation of SCOMET authorisation may be filed 30 days prior to the expiry of authorisation. The period of renewal of authorisation shall be counted from the date of actual expiry of authorisation leading to less validity time in delayed submitted applications. In any case, the total validity time will not exceed to 12 months.*

DECLARATION / UNDERTAKING

I / We hereby declare that:

1. The particulars and the statements made in this application are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed or held there from and if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.

2. We would abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders framed there under, the Foreign trade Policy, the Handbook Procedure and the ITC(HS) Classification of Export & Import Items, as amended from time to time.

3. None of the Proprietor/ Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee of the firm / company, as the case may be, is / are a Proprietor / Partner(s) / Director(s) / Karta / Trustee in any other firm / Company which has come to the adverse notice of DGFT or is in the caution list of RBI.

4. We have not been penalized under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, and (iv) The Foreign Exchange Management Act,1999; (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B.

I am authorised to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the FTP.

Place Signature of the Applicant

Date

Name Designation

Company Name
Official Address
Telephone / Mobile
Email Address
Office Seal /Stamp (in ink)

GUIDELINES FOR APPLICANTS

[Please see paragraph 2.80 of HBP]

1. Application shall be filed through email at scomet-dgft@nic.in cc at sanjay.kt@nic.in
2. However, subsequent to introduction of new online module for filing of electronic, paperless applications w.e.f. 05.08.2021, the licensee would require to apply online by navigating to the DGFT website (https://www.dgft.gov.in) -> Services -> Export Management Systems ->SCOMET.
3. The following documents are required to be attached alongwith application:
   a. Duly filled in and signed copy of ANF- 2O(d);
   b. Copy of Export Authorisation (duly attested by the authorized signatory of the firm in ink with office seal); and
   c. Bank Receipt / EFT / Credit Card / online payment details evidencing payment of application fee @Rs. 500/- in terms of Appendix 2K

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.27 22:31:59 +05'30'